

(2)

**“लोक सेवा प्रबंधन विभाग के पदाधिकारी व अधिकारियों /
कर्मचारियों के अधिकार और कर्तव्य”**

(सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1) (बी) (ii) के अंतर्गत)

मध्यप्रदेश कार्यपालक शासन के कार्य नियम तथा उन नियमों के अधीन जारी किए गए निर्देश तथा अनुदेश (Rules of Business)